R.N.I. No. : UPBIL/2009/27081
UGC APPROVED
Indexed
ProQuest

ISSN : 0976-1136
ICRJIFR,
IMPACT FACTOR
9.9901

Peer Referred & Indexed International Multidisciplinary
Journal Quarterly Bilingual

DELIBERATIVE RESEARCH®

Editor-in-Chief
Amit Jain
M.Com, Ph.D, MSW, LLB

Vol.- 34
Issue. - 34, April-June. 2017

UGC APPROVED **DELIBERATIVE RESEARCH** ISSN 0976-1136

INTERNATIONAL QUARTERLY BILINGUAL INDEXED DOUBLE BLIND & PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

DELIBERATIVE RESEARCH JOURNAL OF MULTI SUBJECT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES AIMS AT PROVIDING A HEALTHY FORUM FOR SCHOLARLY AND LITERARY DISPLAY ON SOCIO-POLITICAL AND OTHER PARADIGMS OF SOCIAL RELEVENCE AS REFLECTED IN CONTEMPORARY INDIAN SOCIETY.

ADVISORY BOARD

PROF. A.K. PANDEY	(BHU, VARANASI)
PROF. VIVEK KUMAR	(JNU, NEW DELHI)
DR. G.K. AGARWAL	(EX. V.C. AGRA UNIVERSITY, AGRA)
PROF. JAGMOHAN SINGH VERMA	(LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW)
PROF. J.P. PACHAURI	(GARHWAL UNIVERSITY, GARHWAL)
PROF. D. SUNDRAM	(MADRAS UNIVERSITY, CHENNAI)
PROF. RAJEEV GUPTA	(RAJASTHAN UNIVERSITY, RAJ.)
PROF. M.H. MAKWANA	(GUJRAT UNIVERSITY, GUJRAT)
DR. RENU NANDA	(JAMMU UNIVERSITY, JAMMU)
DR. ANUPAN JAIN	(AHILYA BAI UNIVERSITY, INDORE)
DR. ANIL SAXENA	(K.P. COLLEGE, MATHURA)
DR. B.P.S. THANEUA	(DAYALBAGH UNIVERSITY, AGRA)

EDITORIAL BOARD

DR. K.D. GAUR (EX. DIRECTOR, ICSSR, NEW DELHI)
DR. VIPIN MEHROTRA (DR. B.R.A. UNIVERSITY, AGRA)

EDITORIAL REVIEW BOARD

DR. POORAN MAL YADAV	MOHAN LAL SUKHATIA, UNIVERSITY, UDAIPUR (RAJ.)
DR. MAHENDRA KUMAR A. JADHAV	(M.S.)
DR. NITI JAIN	IGNTU, AMAR KANTAK (M.P.)
DR. R.N. WARHADE	(M.S.)
DR. LAKHAN SINGH	ISS, AGRA.
DR. MRIDULA SINGH	D.S. COLLEGE, ALIGARH
DR. CHAVI LAL	DEI, AGRA.
CHERNYSH MIKHAIL F.	RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE RUSSIA
PROF. TOM DWYER	INSTITUTO DE FILOSOIFIAE CIENCIAS HUMANS, BRAZIL

EDITOR-IN-CHIEF

DR. AMIT JAIN

AMIT INTERNATIONAL IMPACT FACTOR JOURNAL (REGD.) MSME
(AMIT EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY, FIROZABAD (U.P.) INDIA.)

COORDINATION COMMITTEE :-
DR. P.K. SINGH (HEAD), DR. NITI JAIN, DR. KAMNA DHAWAN, DR. AMARNATH SINGH, DR. SAROJ KUMAR, DR. SHIV VEER YADAV, DR. M.M. KHAN, DR. HIRDYESH KUMAR, DR. MANOJ YADAV, SUNITA AWASTHI, DR. A.K. SHARMA, DR. ALOK SHARMA, DR. KAUSLENDRA DIXIT, SMT. REENU JAIN

DELIBERATIVE RESEARCH

(A Quarterly Bilingual International Journal)

INDEX

S.No.	Research Papers	Pages
1.	**Bettman Information Processing Model** Dr. Andrew Prakash	1-4
2.	**Development Strategy of the Ninth Plan in India** Dr. Tejpal Singh	5-8
3.	भारत में पंचायती राजः जमीनी लोकतंत्र के सशक्तिकरण का प्रयास–एक ऐतिहासिक विवेचन प्रो0 (डॉ0) संजीव भारद्वाज	9-14
4.	**A Comparative Study of Salt Storage Practice Among Working and Non-Working mothers in Bareilly City** Dr. AnupmaMehrotra	15-17
5.	**Women Education in India: A Detailed Analysis** Dr. Sunita Chauhan	18-22
6.	**Aami Bachao Aandolan: A Sociological Analysis** Dr. Sangeeta Pandey	23-27
7.	**Effects of Urban- Rural Rearing on Alienation** Dr. Tinku De (Gope) ,Suman Bhowmik	28-31
8.	बालिका शिक्षा में नितियों एवं कार्यक्रमों का योगदान पुष्पा मिश्रा	32-35
9.	**Deviant and Aberrant Characters in R.K. Narayan's Fiction: A Study in Social, Economic and Moral Vision** Pooja Saraswat	36-39
10.	**Significant Contribution of Sane Guruji in Upliftment Of Depressed Community** Mr. B.K. Bhosale	40-44
11.	**India Against Rape – National Movement for Rape Eradication-Part II** Dr. Amit Jain	45-57

ISSN : 0976-1136

बालिका शिक्षा में नितियों एवं कार्यक्रमों का योगदान

पुष्पा मिश्रा
प्रवक्ता, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूं (राजस्थान)

परिचय :–

बालिका शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक विकास के लिये एक अत्यन्त ही महत्त्वपुर्ण पक्ष है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक स्तर पर मजबूती से प्रयास करने की आवश्यता है, इसके लिये विद्याालय की गुणवत्ता जैसे शिक्षा सम्बन्धि संसाधनो, नामाकंन को बढ़ावा देना, सामाजिक स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करना अनिवार्य है। बालिका शिक्षा समाज के स्वरुप को बदलने में अपनी महत्वपुर्ण भुमिका अदा किया है। आर्थिक उत्पादकता, राजनीतिक सहभागिता, स्वास्थय और स्वच्छता, बाल विवाह पर नियन्त्रण और आने वाली पीढ़ी के लिये आर्दश के रुप में समाज की कल्पना बालिका शिक्षा से ही सम्भव है। मौलिक अधिकार के रुप में भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक एवं मध्य स्तर पर शिक्षा निःशुल्क है। इसलिए प्रारम्मिक स्तर पर ही तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को सर्व सूलभ बनाया जाये।

भारत के परिप्रेक्ष्य में बालिका शिक्षा विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रशासन एवं निति निर्धारकों के लिए भी एक समस्या बनी हुई है। एक अध्ययन के अनुसार केवल दो तिहाई बालिकाए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से जूड़ पाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तरर्गत बालिका शिक्षा के प्राथमिक स्तर को बढ़वा देना, विशेष रुप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दृष्टिगत होती है। मानवाधिकार की घोषणा के 40 वर्ष पश्चात् भारत में शिक्षा सबके लिए अनिवार्य की बात सरकार द्वारा की गयी। 'शिक्षा एक अधिकार' के परिप्रेक्ष्य में बात की जाये तो मानव तभी पूर्ण संसाधन के रुप में विकसित हो सकता है जब वह शिक्षित हो। शिक्षा में ही मानव गरिमा निहित है तथा मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमताओं को उजागर किया जा सकता है। मूख्यतः बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का मूल आधार तो मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता ही है। जनसंख्या, गरीबी, लिगंभेद, असमानता और विकास का शिक्षा के साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन 1995 में बीजींग में सम्पन्न हुआ जिसमें महिलाओं में समान्ता, सशक्तिकरण मानव अधिकार और वैश्वीक स्तर पर शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल दिया गया। वैश्वीक समाज के विकास के लिए बालिका शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित करने की बात उक्त सम्मेलन में की गयी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बालिका शिक्षा के मुख्य बाधाऐं वर्ण भेद के कारण है। सरकारी प्रयासों के अन्तर्गत बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक परिर्वतन की दिशा में एक ठोस कदम है जो HUMEN DEVELOPMENT REPORT के अनुसार वैश्वीक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रकिया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना आत्म – निर्भरता के साथ गरिमापूर्ण जीवन का साधन है।

शिक्षा का प्रभाव :–

शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में एक जीवन्त भूमिका निभा सकता है। यह नागरिको की विशलेषण क्षमता एवं उनका

सशक्तीकरण करता है। उनके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है। उन्हे दक्षता हासिल करने में मद्द करता है।

शिक्षा में केवल पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना एवं लिखना ही सम्मिलित नही है बल्कि मूल्यों, कोशलों और अक्षमताओं की वृद्धि, कैरीयर का विकास, नये समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता मिलती है। अर्थात बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने का परिणाम व्यक्तिगत स्तर पर उत्थान के साथ परिवार एवं समाज में कारण बनता है। बालिकाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास स्वच्छता, पीढ़ी दर पीढ़ी निरक्षरता के चक्र को समाप्त करना शिक्षा के पश्चात् ही सम्भव है।

बालिका शिक्षा में समस्याऐं :– हिन्दूस्तान में बालिका शिक्षा का प्रतिशत बढ़ना एक बड़ी चुनौती हैं। गरीबी रेखा से नीचे व निम्नवर्गीय परिवारों की लड़कियों की पढ़ाई प्राथमिक स्तर तक आते – आते प्रायः छुड़ा दी जाती है। अपवाद स्वरुप कुछ ही बालिकाएं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उसके बाद महाविद्यालय एवं विश्चविद्याालय तक जा पाती है। इसीलिए राज्य एवं केन्द्र सरकार साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के माध्यम से बालिकाओं के शिक्षा स्तर पर विशेष ध्यान दे रही है।

2001की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की 49.46 करोड़ की आबादी में मात्र 53.67 प्रतिशत महिलाए ही साक्षर थी अर्थात भारत में वर्तमान समय में लगभग 22.91 करोड़ महिलाएं ही साक्षर है।

भारत में बालिकाओं को अपेक्षित किया जाता रहा है, पुरुष प्रधान समाज स्वयं की संतुष्टि के आधार पर सामाजिक नियमों को लागु करता हैं। शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता के क्षेत्र में बालिकाओं को वंचित रखा जाता है। निम्न लिखित समस्याओं के कारण भी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है।

1. शिक्षण शुल्क
2. परिवहन
3. सांस्कृतिक आधार
4. महिला शिक्षकों की कमी
5. बालिकाओं के खिलाफ उत्पीड़न

बालिका अशिक्षा के कारण :–

1. लिंग भेद
2. बालविवाह
3. गरीबी
4. शिक्षण संस्थाओं की दूरी अत्यधिक होना
5. शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का अभाव
6. असुरक्षा का भाव

बालिका अशिक्षा के दुष्प्रभाव :–

इस निम्न स्तरीय साक्षरता का नकारात्मक असर सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर पर ही नही अपितु उनके परिवार एवं देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। अध्ययन से पता चलता है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन न देने का दुष्परिणाम महिलाओं में सामान्यतया मात् मृत्युदर में वृद्धि, पोषाहार का निम्न स्तर न्युन आय, अर्जन क्षमता एवं परिवार में उन्हें बहुत ही कम स्वायत्ता प्राप्त होती है। बालिकाओं में निरक्षरता का नकारात्मक प्रभाव भविष्य में उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं रहन – सहन पर भी पड़ता है। शिशु मृत्युदर और माताओं

की शैक्षणिक स्तर में गहरा सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त शिक्षित जनसंख्या की कमी देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है।

नितियां एवं कियान्वयन रणनीति :–

1. विद्यालय की दूरी इतनी हो जहां आसानी से बालिकाएं पंहुच सके।
2. बालिकाओं की आवश्यकता के अनुसार सभी सुविधाए उपलब्ध कराना।
3. विद्यालय का क्षैक्षणिक समय क्षैत्र विशेष के अनुसार लचीलापन हो।
4. शिक्षा के वैकल्पिक प्रारुप की व्यवस्था की जाये,
   जैसें – अनौपचारिक शिक्षा, खुली विद्यालयी शिक्षा, आवासीय विद्यालय आदि।
5. महिला शिक्षिकाओं को विद्यालयों में नियुक्ति देना तथा आवासीय सुरक्षा पर ध्यान देना।
6. गरीब बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना जो बचपन में किसी न किसी रुप में आय सम्बन्धी किया–कलापो में संलग्न हो जाती है।
7. कार्यरत बालिकाओं की पहचान करना तथा उनके समय एवं कैलेण्डर को उनके अनुकूल बनाना।
8. प्रोत्साहन हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना जैसे – स्कूल ड्रेस, किताबें, कोपिया, फ्री बस पास, स्कॉलरशीप आदि।
9. विद्यालयों में सामुदायिक सदस्यों को सम्मिलित होना तथा निर्णय प्रकियाओं में महिलाओं की भागीदारी होना।
10. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़वा देना एवं पठन–पाठन प्रकिया को कठिन न बनाने की दिशा में प्रेरित करना।
11. योजना एवं प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक रूप में विकेद्रित होना। बालिकाओं की आवश्यकतानुसार निर्णय प्रकिया होना।
12. शिक्षा के सन्द्रर्भ में सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न व्यवस्थाओं जैसें राष्ट्रीय साक्षरता मीशन, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय प्राईमरी शिक्षा मिशन के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिबध होना।

बालिका शिक्षा में सुधार के प्रयास :–

1. **सर्व शिक्षा अभियान** :– यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा निश्चित समय तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिये चलाया गया। यह भारतीय सविधांन के 86 वें सशोधन द्वारा निर्देक्षित 6–14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बताया गया है। इसके अन्तर्गत (ICDS) शामिल है।
2. **प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवेधानिक कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा**

अ. सवेधानिक अध्यादेश 1950 सभी राज्य 10 वर्ष के भीतर अपने राज्यों में 14 वर्ष तक के बच्चो को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा शिक्षा मुहैया कराएगा।

ब. **राष्ट्रीय शिक्षा निति 1986** :– यह सुनिश्चित किया जाए की 21 वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सन्तोषजनक गुणवत्ता में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

स. उन्नीकृष्णन फैसला 1993 :– इसे देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु को मुक्त शिक्षा पाने का अधिकार है। मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था से कम उपस्थिति की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

3. **भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना :–**

अ. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

ब. मध्यान्ह भोजन की योजना

स. बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

4. छात्रवृतियां एवं पुरुस्कार :– इसके अन्तर्गत एन सी इ आर टी छात्रों के शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए चाचा नेहरु छात्रवृति प्रदान करती है।

5. सयुक्त राष्ट्र बालिका शिक्षा पहल (UNGEI) के माध्यम से आई एल ओ, यु एन डी पी युनिसेफ, डब्ल्यु एच ओ और विशव बैंक के माध्यम से पहल ने लिंग भेदभाव मिटाने, शिक्षा प्रणाली में वैश्विक, राष्ट्रीय जिला और समुदाय स्तर पर सुधार, पूर्वाग्रह और भेदभाव को समाप्त करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

परिवार एवं समुदाय की भुमिका :–

1. माता– पिता को बालिका शिक्षा के प्रतिबद्ध होना चाहिए।
2. आधारभुत शिक्षा लचीला एवं मुक्त होना चाहिए।
3. स्कूल तक पहुचने का साधन आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए।3
4. लर्निंग सामग्री की प्र्याप्ता होनी चाहिए।

REFERENCES

- Girls and women Education Policy Research Activity (GWE-PRA), Policy Brief : Menarche and Its Implementation for Educational Policy in Peru (March 2001)
- Barriers to Girls Education, Strategies and Intervention. UNICIEF/HQ01-0472/Shehzad Noorani.
- NIEPA (2004-05) elementary Education in India. National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
- MHRD (2002-03) Selected Educational Statistics. Department of Secondary and Higher Education, MHRD, Govt. of India.
- Journal of Educational Planning and Administration. VOL. XVIII, No. 4, October 2004, p.p. 489-506
- ICT Initiatives, Quality Improvement in Elementary Education (2006), DEP-SSA, IGNOU, New Delhi.
- http://www.right to education.org.
- http://education .nic.in
- http://bharat.gov.in